14.46 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR UNDERGROUND SURVEY IN CHHATTISGARH AREA OF MADHYA PRADESH.

श्री कैयूर भूषण (रायपुर) : मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस्पात तथा खान, ऊर्जा एवं योजना मंत्रीगण का ध्यान देश के मध्य भाग तथा मध्य प्रदेश के दक्षिण एवं पूर्वी अंचल जिले छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, के अवशेषी भूवेक्षण तथा भू-सर्वेक्षण की ओर दिलाना चाहता हूं । ध्यान रहे कि यह क्षेत्र अकूत खनिज सम्पदा अपने गर्भ में समेटे हुए है । कहीं-कहीं रेडियो सक्रियता भी पाई गई है, जिस से यूरेनियम खनिज बड़ी मात्रा मे पाये जाने की संभावना है । इस के अतिरिक्त अन्य बहुमूल्य खनिज मिलने की संभावनाओ से इंकार नही किया जा सकता । बस्तर मे लौह अयस्क बाक्साइट और अन्य खनिजो के अतिरिक्त केसोटराइट, कोलबाइट टेंटलाइट से बने बहुखनजीय सांद्र का पता चला है । इस मे विशेष रूप से छत्तीसगढ़ मैदान के पूर्वी तथा दक्षिणी दुर्गम पहाडी भू-भाग जो सामान्यत: अन्तर्प्रांतीय सीमा का निर्धारण करते है, विशेष महत्व के है । यदि इस भू-भाग को वरीयता के आधार पर भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाता है, तो यह हमारे औद्योगिक विकास की गति देने में सहायक होने के साथ-साथ इस आदिवासी बहुल क्षेत्र का द्रुत गति से विकास करने में भी सहायक सिद्ध होगा ।

(ii) RELIEF MEASURES FOR FLOOD-AFFECTED PEOPLE OF GORAKHPUR DISTRICT OF U.P. AND CONSTRUCTION OF PROPOSED DAMS TO CONTROL FLOODS.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यद्यपि देश के विभिन्न भागों में भयंकर बाढ़ की स्थिति व्याप्त है तथा जन-धन की भीषण क्षति हुई है किन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती, रोहिन, घाघरा और आमी नदियों की बाढ़ के कारण वहां की जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है । फसलें लगभग नष्ट हो चुकी है तथा अनेक मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं । कई गांव जैसे रोहुआ और बंजरहा राप्ती नदी के कटाव के कारण कट कर नदी में गिर रहे हैं । ऐसी स्थिति में उन गांवों के लोगो को किसी नये स्थान पर बसाने के लिये सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिये और बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये । साथ ही बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों की फीस माफ कर देनी चाहिये तथा उक्त क्षेत्रों में हर प्रकार की वसूली बंद होनी चाहिये और किसानों का लगान माफ कर दिया जाना चाहिये । सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उक्त नदियो की बाढ की विभीषिका क नियंत्रित करने के लिये एक नियोजित प्रभावी कार्यक्रम बनाये ताकि लोगो को इस महान संकट से बचाया जा सके । प्रस्तावित बांधो का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाना अति आवश्यक है :

(iii) NEED FOR ENHANCING RATES OF POST-MATRICULATION SCHOLARSHIPS TO S.C. AND S.T. STUDENTS.

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): Mr. Deputy Speaker, Sir, under Rule 377 I want to raise the following matter of urgent public importance.

Post-matric scholarships are awarded to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students at rates approved by Government of India. Different rates are prescribed for students of different groups as indicated in the scheme of Post-matric scholarship prepared by Government of India.

In the scheme it has been provided that Rs. 70/- p.m. for boys and Rs. 80/- p.m. for girls will be given for general courses upto graduate level. Over and above, the rate prescribed by Government of India, the State Government of Orissa are